रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 441] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सा.का.नि 601(अ).—केंद्रीय सरकार, नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22) की धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नावधिकरण (असेसर) नियम 2018 है ।

(2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) 'अधिनियम' से नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम 2017 अभिप्रेत है;
(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, परंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है ।

3. असेसर के रुप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव – प्रत्येक व्यक्ति जो एक असेसर के रुप में नियुक्त होने की वांछा रखता है वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नाविक या इंजीनियरी या नौसेना स्थापत्यकला या समुद्री दावा निपटारा या जलयानों द्वारा क्षति या जलयानों का सर्वेक्षण या माध्यस्थम या बीमा या कबाड़ या निर्माण या मरम्मत या जलयानों का बंधक या पर्यावरण प्रदूषण या नावधिकरण और समुद्री मामलों में अन्य विशेष कौशल के क्षेत्र में अनुभव रखता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित अर्हताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने-अपने विषय में असेसर के लिए अपेक्षित विशिष्ट अर्हताएं और अनुभव नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा --

(क) नाविक विषय के अधीन असेसर –

(i) **अर्हताएं** – भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विदेशगामी पोत के मास्टर के रुप में सक्षमता प्रमाणपत्र ।

(ii) **अनुभव** –

(i) दूसरा मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें एक वर्ष विदेशगामी पोत के मास्टर की सक्षमता होनी चाहिए।

(ii) वाणिज्यिक पोतों के सर्वेक्षण और निरीक्षण के पांच वर्ष या अधिक का अनुभव हो ।

(ख) **इंजीनियरी विषय के अधीन असेसर**-

(i) **अर्हताएं**-वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 78 में विनिर्दिष्ट या समतुल्य उक्त अधिनियम की धारा 86 में विनिर्दिष्ट के अनुसार नौ इंजीनियर अधिकारी वर्ग-I (वाष्प या मोटर या संयुक्त वाष्प और मोटर) का सक्षमता प्रमाणपत्र।

(ii) **अनुभव** --

(i) समुद्र पर पांच वर्ष की सेवा जिसमें मुख्य इंजीनियर या द्वितीय इंजीनियर के रुप में एक वर्ष की सेवा की हो ।

(ii) वाणिज्यिक पोतों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में पांच वर्ष या अधिक का अनुभव हो ।

(ग) **नौसेना स्थापत्यकला विषय के अधीन असेसर** –

(i) **अर्हता**– मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नौसेना स्थापत्यकला में डिग्री ।

(ii) **अनुभव**-(क) डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् पोतनिर्माण या पोत मरम्मत बाड़ा या किसी डिजाइन या सर्वेक्षण संगठन में निष्पादित किए गए डिजाइन, निर्माण, सर्वेक्षण और मरम्मत कार्यों में पांच वर्षों का व्यावसायिक अनुभव हो ।

(ख) वाणिज्यिक पोतों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में पांच वर्ष या अधिक का अनुभव हो ।

(घ) **पर्यावरण प्रदूषण से संबंधी मामलों के लिए असेसर** –

(i) **अर्हता**- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्यावरण संबंधी विज्ञान में मास्टर डिग्री ।

(ii) **अनुभव** – समुद्रीय प्रदूषण से संबंधी मामलों में पांच वर्ष या अधिक का अनुभव

(ड.) **अन्य मामलों या विषयों के लिए असेसर**-

(i) अर्हता—इस उपनियम के खंड (क) से खंड (घ) में यथा निर्दिष्ट से भिन्न किसी विशेष किस्म की विशेषज्ञता की अपेक्षा रखने वाले विषयों पर असेसर की न्यूनतम अर्हताएं वे होंगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(ii) अनुभव —ऐसे असेसर के लिए अनुभव की अपेक्षा वह होगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाए ।

4. असेसर के कर्तव्य—(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक असेसर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन नावाधिकरण कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसे सौंपे जाएं ।

(2) विशिष्टतया और उच्च न्यायालय द्वारा उसे सौंपे गए पूर्वगामी कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना असेसर उच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार समय-समय पर नावाधिकरण कार्यवाहियों में भाग लेगा और लिखित में अपनी राय देगा ।

5. असेसर को संदत्त की जाने वाली फीस—(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति प्रत्येक असेसर और जिसकी सेवाओं का उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा यथाविनिश्चित कर्तव्यों की प्रकृति, ऐसे असेसर द्वारा ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और कौशल को ध्यान में रखते हुए, फीस का संदाय किए जाने का पात्र होगा ।

(2) इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित की गई फीस को उस पक्षकार द्वारा चुकाया जाएगा, जिसके अनुरोध पर असेसर को नियुक्त किया गया है :

IndiaCode

परंतु उच्च न्यायालय को नावाधिकरण कार्यवाहियों में किसी भी पक्षकार से बिना किसी अनुरोध के असेसर की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति होगी और उस दशा में उच्च न्यायालय को पक्षकारों के बीच फीस का प्रभाजन करने की शक्ति होगी, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों के अधीन और न्याय के हित में उपयुक्त समझे ।

6. शिथिल करने की शक्ति—जब केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी भी उपबंध को उसमें अंतर्विष्ट मामले के संबंध में शिथिल कर सकेगी ।

[फा.सं. एसआर-12014/1/2008-एमजी (खंड VII)]

सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (1) of section 13 of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 (22 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Admiralty (Assessors) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017;

(b) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Qualification and experience required for appointment as an Assessor.- (1) Every person desirous to be appointed as an assessor shall be a person having experience in the field of nautical or engineering or naval architecture or maritime claim settlement or damage by vessels or survey or arbitration or insurance or salvage or construction or repair of vessel or mortgage of vessels or environmental pollution or other special skill in the admiralty and maritime matters.

(2) Without prejudice to the qualifications mentioned under sub-rule (1), the specific qualifications and experience required for the assessors in respective disciplines shall be as specified below;

(A) **Assessor under Nautical Discipline**.-

(i) **Qualifications-** Certificate of Competency as Master of a Foreign Going Ship as recognized by the Government of India.

(ii) **Experience**-

(i) Five years service, after obtaining the certificate of competency of second mate (Foreign Going), of which one year must have been in capacity of a Master on a foreign going ship.

(ii) Experience in survey and inspection of merchant ships for five years or more.

(B)**Assessor under Engineering Discipline-**

(i) **Qualifications**: Certificate of competency of Marine engineer officer class-I (Steam or Motor or combined steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 or equivalent as specified in Section 86 of the said Act.

(ii) **Experience**-

(i) Five year's service at sea of which one year service shall be as Chief Engineer or Second Engineer.

(ii) Experience in survey and inspection of merchant ships for five years or more.

(C) **Assessor under Naval Architecture Discipline**.-

(i) **Qualification-** Degree in Naval Architecture from a recognised University.

(ii) **Experience**- (a) Eight years practical experience in design, construction, survey and repairs of ships carried out in ship building or ship repairing yards or any design or survey Organisation after the completion of the degree course.

(b) Experience in survey and inspection of merchant ships for five years or more.

(D) **Assessor for matters related to environment Pollution.-**

(i) **Qualification-** Master's degree in science relating to environment from a recognized University or Institute.

(ii) **Experience**- Experience in matters related to marine pollution for five years or more.

(E) **Assessors for other matters or disciplines**.-

(i) Qualification.- The minimum qualification for Assessor on matters requiring expertise of a particular kind other than as referred in clause (A) to (D) of this sub rule shall be as may be decided by the High Court.

(ii) Experience- The experience requirements for such Assessor shall be as may be decided by the High Court.

4. **Duties of an assessor.-**(1) Every Assessor appointed under the Act shall provide such services or perform such functions as the High Court may assign to him in the course of the admiralty proceedings under the Act.

IndiaCode

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing functions assigned by the High Court, the assessor shall, as may be required by the High Court, attend the admiralty proceedings, from time to time, and deliver his opinion in writing.

5. **Fee to be paid to an assessor.-** (1) Every assessor appointed under the Act and whose services are utilised by the High Court shall be eligible to be paid a fee as the High Court may decide, keeping in view, the nature of duties, the skill and the time required for performance of such duty by the assessor.

(2) The fee so decided by the High Court shall be borne by the party on whose request the assessor has been appointed:

Provided that the High Court shall have the power to utilise the services of assessor even without request from any of the parties to the Admiralty proceedings, and in such case the High Court shall also have the power to apportion the said fee between the parties as it may deem appropriate under the circumstances of the case and in the interest of justice.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any matter contained therein.

[F. No. SR-12014/1/2008-MG (Vol-VII)]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.04 20:21:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.